भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2292

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बार काउंसिल की स्थापना**

**2292. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में कार्यशील बार काउंसिलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में बार काउंसिल स्थापित करने हेतु कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

**(क) :** अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अनुसार, राज्यों जिनके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राज्य भी हैं, के लिए विधिज्ञ परिषदें गठित की गई हैं:

(i) अरूणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद – धारा 3 (1)(ख) के अधीन गठित एक ही राज्य विधिज्ञ परिषद है । भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा सूचित किए गए अनुसार, सिक्किम राज्य भी अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड की विधिज्ञ परिषद की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है, और सिक्किम राज्य के लिए कोई पृथक् विधिज्ञ परिषद् गठित नहीं की गई है ।

(ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3(1)(क) के अनुसार, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए राज्य विधिज्ञ परिषदें भी गठित की गई हैं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कुल चार (04) विधिज्ञ परिषदें क्रियाशील हैं ।

**(ख) :** वर्तमान में, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए पृथक राज्य विधिज्ञ परिषदों का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

*******